an>

Title: Introduction of the Compulsory Protection of Witness and Victims of Crimes Bill, 2018.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य द्वारा अपराधों के साक्षियों और पीड़ितों, या उनके परिवार के सदस्यों या उनके सगे-संबंधियों, जिन्हें अपराधों के आरोपियों या उनके सहयोगियों या मित्रों या संबंधियों या सह-आरोपियां या उनसे सहानुभूति रखने वालों द्वारा पीड़ित या उनके परिवार के सदस्यों या उनके सगे-संबंधियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष अपराध करके विभिन्न तरीकों से धमकाया, उत्पीड़ित, शारीरिक हमला किया जाता है, के अनिवार्य संरक्षण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपंबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory protection of witnesses and victims of crimes by the State who are intimidated, harassed, physically attacked mostly by various means or of their family members or their near and dear ones by the accused of crimes or by their accomplices or friends or relatives or co-accused or sympathizers committed either directly against the victims or against their family members or their near and dear ones."

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।